कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती सेल्वा कुमारी जे0, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अलकेमिस्ट फूड्स लि0, शाप नम्बर-17, ग्राउन्ड फ्लोर, जलवायु विहार मार्केट, सेक्टर-25, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**015 / 13, 08.04.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अनिल मित्रा, एफ0 सी0 ए0।**

उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी-सर्वश्री अलकेमिस्ट फूड्स लि0, शाप नम्बर-17, ग्राउन्ड फ्लोर, जलवायु विहार मार्केट, सेक्टर-25, नोएडा द्वारा उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए half cooked or processed food (processed chicken brand name ROC) पर, करदेयता पूछी गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अनिल मित्रा, एफ0 सी0 ए0 उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए अपने प्रोडक्ट से सम्बन्धित पम्पलेट दाखिल किया, जिसमें बिक्री किये जाने वाले उत्पाद-Chicken Frankfurters, Punjabi Chicken Sticks, Punjabi Masala Chicken Tikka, Chicken Seekh Kebab, Chicken Mini Kievs, Chicken Dimsums, Chicken Nuggets, का उल्लेख है। उनके द्वारा कहा गया कि उक्त packed processed chicken की बिक्री Brand name ROC से की जाती है। प्रार्थी द्वारा उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-102-Processed or frozen meat, poultry & fish., की भाँति 5% की दर से कर चार्ज किया जा रहा है। इन उत्पादों को पैकेट खोलने के उपरान्त कढ़ाई (Pan) में थोड़ा-सा तेल डालकर गर्म करके serve किया जाता है। यह उत्पाद एक प्रकार से semi cooked है इनको खाने से पूर्व पकाना आवश्यक है। यह बिना पकाये नहीं खाये जा सकते हैं, अन्त में processing की परिभाषा बताते हुए कहा गया कि-'' Processed '' means to perform a series of operations to change or preserve something है और निर्मित उत्पाद Raw Form or Semi Cooked Form में रहता है जिसे बिना पकाये खाया नहीं जा सकता। अत: उक्त पर उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-102-Processed or frozen meat, poultry & fish की भाँति 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता बनती है। अन्त में तदनुसार प्रार्थना-पत्र निर्णीत करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, नोएडा जोन नोएडा के पत्र संख्या-562, दिनांक 8.07.2013 से प्राप्त आख्या में यह कहा गया है कि व्यापारी रा मीट में, मसाले, ऑयल, गेहूँ का आटा, बेसन, कार्न फ्लोर, ब्रेड एवं अन्य इसेन्स मिलाकर व पकाकर खाने योग्य बनाकर उसे पैक कर फ्रीज्ड करते हैं। इस प्रकार फ्रोजन आइटम्स निर्विवाद रूप से Ready to eat की श्रेणी में आते हैं। दाखिल निर्मित उत्पाद के रेपर की प्रति में सींक कबाब, चिकन नगेट्स, हर्व रोस्टेड चिकन, चिलि चिकन आदि आइटम उल्लिखित हैं जो बिना किसी मसाले और ऑयल के मिलाये खाने योग्य हैं। इसी प्रकार के निर्मित उत्पाद के अन्य ब्राण्ड सर्वश्री अलकबीर

......2

<u>**सर्वश्री अलकेमिस्ट फूड्स लि0 / प्रा0पत्र सं0-015 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2**</u>

एक्सपोर्ट प्रा0 लि0 द्वारा भी बिक्री किये जाते हैं, जिस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर आरोपित किया, जिसको प्रथम अपील से मान्यता मिली है । इस प्रकार से उक्त Half cooked Or Processed food पर, अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता है ।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-102-Processed or frozen meat, poultry & fish., पर ही 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता प्राविधानित की गयी है । प्रार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान जो पम्पलेट प्रस्तुत किया गया है उसमें वर्णित वस्तुएं जैसे-Chicken Frankfurters, Punjabi Chicken Sticks, Punjabi Masala Chicken Tikka, Chicken Seekh Kebab, Chicken Mini Kievs, Chicken Dimsums, Chicken Nuggets आदि का उल्लेख है यह Ready to eat वाले Half cooked or Processed food हैं, न कि Processed or frozen meat, poultry & fish हैं । अत: उक्त निर्मित उत्पाद,-'' Half cooked or Processed food '' उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण इन पर उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, नोएडा जोन नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया व प्रस्तुत पम्पलेट का अवलोकन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिन उत्पाद पर करदेयता पूछी गयी है, यह निर्मित उत्पाद (processed chicken brand name ROC), '' Half cooked or Processed food '' है, जो Ready to eat के उद्देश्य के लिए निर्मित है । **'' Half cooked or Processed food '' is not Processed or frozen meat, poultry & fish.** उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-102-Processed or frozen meat, poultry & fish., पर ही 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित है । अत: उक्त उत्पाद उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण, इन पर उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उार उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 06 अगस्त, 2013

ह0 / 06.08.2013

(सेल्वा कुमारी जे0)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उार प्रदेश, लखनऊ ।